न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, सिरोही
(पीठासीन अधिकारी: जवाहर चौधरी, आर.ए.एस.)

प्रार्थी

ओमप्रकाश पुत्र तेजारामजी, जाति-मीणा, निवासी-पोसालिया, तह. शिवगंज, जिला-सिरोही

बनाम

अप्रार्थी

(1) ग्राम पंचायत, पोसालिया जरिये सरपंच
(2) ग्राम पंचायत, पोसालिया जरिये ग्रामसेवक पदेन सचिव

पंचायत निगरानी संख्या: 89/2017

"निगरानी प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994"

उपस्थिति:

1. अधिवक्ता श्री भंवर सिंह देवड़ा, प्रार्थी की ओर से
2. अधिवक्ता श्री कलीम अव्वल, अप्रार्थी पक्ष की ओर से

-: निर्णय :- दिनांक 15 दिसम्बर, 2017

(1) संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है। प्रार्थी निगरानीकर्ता ओमप्रकाश पुत्र तेजाराम जी, जाति- मीणा, निवासी- पोसालिया की ओर से यह निगरानी प्रार्थना पत्र ग्राम पंचायत, पोसालिया द्वारा प्रार्थी के विरुद्ध अतिक्रमण के संबंध में जारी नोटिस क्रमांक 411 दिनांक 22.3.2017 को निरस्त कराने हेतु अप्रार्थीगण के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया है।

(2) प्रस्तुत निगरानी प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। निगरानी प्रार्थना पत्र की सुनवाई के दौरान अप्रार्थी पक्ष की ओर से अधिवक्ता श्री कलीम अव्वल उपस्थित हुये एवं अप्रार्थीगण की ओर से लिखित जवाब प्रस्तुत किया गया।

(3) उभय पक्ष की बहस सुनी गई। बहस के दौरान प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने निगरानी प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि ग्राम पंचायत, पोसालिया द्वारा प्रार्थी को प्रश्नगत नोटिस इस आशय का जारी किया गया है कि प्रार्थी द्वारा उसके आवासीय मकान में पट्टे से अधिक आम रास्ते की भूमि 20x9=180 वर्गफीट पर अवैध निर्माण किया गया है। ग्राम पंचायत, पोसालिया द्वारा प्रार्थी के विरुद्ध उक्त नोटिस जारी करने से पूर्व इस तथ्य पर गौर नही किया कि प्रार्थी के मालकी एवं स्वामित्व का आवासीय मकान ग्राम पोसालिया में आया हुआ है जिसका पट्टा संख्या 89 दिनांक 10.7.2014 को ग्राम पंचायत, पोसालिया द्वारा कुल नाप 920 वर्गफीट का जारी किया गया है। जिस पर प्रार्थी ने नियमानुसार निर्माण स्वीकृति प्राप्त कर निर्माण कार्य किया है। प्रार्थी द्वारा आम रास्ते की भूमि पर किसी तरह का कोई अवैध निर्माण नही किया है, बल्कि प्रार्थी ने अडौस-पडौस में स्थित

.....पेज दो पर

अति. जिला कलेक्टर
सिरोही (राज.)

मकानों की सीमा तक बिल्डिंग लाईन में ही निर्माण कार्य करवाया है। प्रार्थी के मकान के लगते हुए पास में पडौसियों के मकान भी बने हुए है जिनके पास ही प्रार्थी ने अपना नया मकान बनाया है। जो पुराना मकान पहले बना हुआ था उस पुराने मकान को ढहा कर नियमानुसार निर्माण की स्वीकृति प्राप्त कर नये सर मकान का निर्माण करवायचा है, जो विधि अनुसार कराया है। प्रार्थी के अधिवक्ता का यह भी तर्क रहा कि ग्राम पंचायत, पोसालिया का वर्तमान सरपंच श्री राजेन्द्र कुमार माली, प्रार्थी व उसके परिवार से व्यक्तिगत रंजिश रखता है जिसने पूर्व में भी प्रार्थी के पट्टा संख्या 893 की हद में बनी चबुतरी को तोडने का प्रयास किया था व प्रार्थी के घर पर आकर उसके पिता व औरतो के साथ झगडा फिसाद किया था व जातिसूचक गालियों देकर अपमानित किया था जिसका मुकदमा प्रार्थी के पिता ने ग्राम पंचायत, पोसालिया के सरपंच श्री राजेन्द्र कुमार माली व अन्य के विरुद्ध पुलिस थाना, पालडी एम में धारा 448/511 भारतीय दण्ड संहिता व धारा 3(1)(जी)(आर)(एस)(डब्लयु) एस.सी.एस.टी. अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत दर्ज करवाया था जिसकें सी.आर.नंबर 12 दिनांक 24.1.2017 है जिसमें पुलिस ने बाद अनुसंधान मुल्जिम से मेल मिलाप कर एफ.आर. लगा दी जिसके विरुद्ध प्रार्थी ने सक्षम न्यायालय में नाराजगी पीटीशन पेश की है। उक्त रंजिश के कारण प्रार्थी को हैरान व परेशान करने की नियत से प्रार्थी के विरुद्ध रास्ते की भूमि पर अतिक्रमण बाबत गलत नोटिस जारी किया है। जबकि मौके पर रास्ते की भूमि पर प्रार्थी का कोई अतिक्रमण नही है व मौके पर प्रार्थी द्वारा करवाया गया निर्माण कार्य अडौस-पडौस के मकानों की बिल्डिंग लाईन को मेन्टेन करते हुए है, इसलिये प्रार्थी का निगरानी प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रश्नगत नोटिस को निरस्त किया जावे। जबकि अप्रार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता ने बहस के दौरान जवाब में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि प्रार्थी द्वारा अपने पट्टे से अधिक सार्वजनिक रास्ते की भूमि पर अवैध कब्जा कर पक्का निर्माण करा लिया, जिस बाबत पंचायत को शिकायत प्राप्त होने पर विधिक प्रक्रिया अपनाकर ग्राम पंचायत के तीन वार्ड पंचों की कमेटी एवं ग्रामसेवक पदेन सचिव से मौके की जांच व नाप जोख करवाकर बाद जांच विधिवत प्रस्ताव पारित कर मौक पर प्रार्थी का सार्वजनिक रास्ते की 20x9=180 वर्गफीट भूमि पर अवैध अतिक्रमण पाया जाने से अतिक्रमण हटाने हेतु नोटिस जारी किया है। प्रार्थी को ग्राम पंचायत, पोसालिया द्वारा क्षेत्रफल 46x20=920 वर्गफीट भूमि का पट्टा संख्या 89 दिनांक 10.7.2014 को जारी किया हुआ है एवं ग्राम पंचायत पोसालिया द्वारा प्रार्थी को पट्टेशुदा कुल भूमि 920 वर्गफीट पर ही निर्माण की स्वीकृति जारी की गई थी, लेकिन प्रार्थी ने पट्टे में दर्ज नाप 920 वर्गफीट से अधिक 9x20=180 वर्गफीट सार्वजनिक रास्ते की भूमि पर अवैध रुप से निर्माण किया है, जिसको हटाने के संबंध में ग्राम पंचायत, पोसालिया द्वारा विधिवत कार्यवाही कर नोटिस जारी किया गया है। इस कार्यवाही से क्षुब्ध होकर प्रार्थी ने एक झूठा मुकदमा एस.सी.एस.टी. एक्ट के तहत श्री राजेन्द्र कुमार माली, सरपंच, ग्राम पंचायत पोसालिया के विरुद्ध दर्ज करवाया था जिस पर पुलिस द्वारा पूर्ण प्रकरण का सही अन्वेषण कर एफ.आर. दी है। अप्रार्थी की प्रार्थी से कोई रंजिश नही है, वरन प्रार्थी स्वयं अवैध कब्जा कर सार्वजनिक रास्ते की भूमि को हडपना चाहता है जिसे

.....पेज तीन पर

रोकने पर प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी के विरुद्ध झूठा मुकदमा दर्ज करवाया है। अप्रार्थीगण के अधिवक्ता का यह भी तर्क रहा कि ग्राम पंचायत को अवैध कब्जे की सूचना प्राप्त होने पर समय समय पर विधि अनुसार कार्यवाही की जाती है। अप्रार्थी की प्रार्थी से कोई रंजिश नही है, वरन् प्रार्थी ने रास्ते की भूमि को हडपने की नियत से अप्रार्थी के विरुद्ध उक्त रंजिशवश झूठा मुकदमा दर्ज करवाया है। प्रार्थी को सार्वजनिक रास्ते की भूमि पर अवैध रुप से निर्माण करने का कोई हक अधिकार नही है, इसलिये प्रार्थी का निगरानी प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे। अप्रार्थीगण के अधिवक्ता के कथनों के जवाब में प्रार्थी के अधिवक्ता ने यह व्यक्त किया कि वार्ड पंचों की कमेटी द्वारा प्रार्थी की अनुपस्थिति में जांच की गई है तथा ग्राम पंचायत, पोसालिया ने यह भी स्पष्ट नही किया है कि मौके पर रास्ता कितना फीट चौडा है, इसलिये प्रश्नगत नोटिस को निरस्त किया जावे।

(4) उभय पक्ष की सुनी गई बहस पर मनन किया एवं न्यायालय पत्रावली का भलीभांति अध्ययन एवं अवलोकन किया तो यह पाया गया कि ग्राम पंचायत, पोसालिया द्वारा प्रार्थी श्री ओमप्रकाश पुत्र तेजाराम जी मीणा, निवासी- पोसालिया को अतिक्रमण हटाने के संबंध में नोटिस क्रमांक 411 दिनांक 22.3.2017 को इस आशय का जारी किया गया है कि आप द्वारा ग्राम पंचायत, पोसालिया के मेन रोड पर निम्न अडौस-पडौस के मध्य स्थित मकान के पट्टे से अधिक आम रास्ते की भूमि पर नाप 20x9=180 वर्गफीट का पक्का निर्माण किया है जो अवैध है:-

1. उत्तर- दरवाजा व आम रास्ता
2. दक्षिण- नोपाराम पुत्र हिन्दुजी मीणा का प्लॉट
3. पूर्व- सोदाराम पुत्र समरथाराम जी मीणा का मकान
4. पश्चिम- रामुबाई पत्नि वागाराम मीना का मकान

इस संबंध में प्रार्थी का मुख्यत: कथन यह है कि "प्रार्थी के मालकी एवं स्वामित्व का आवासीय मकान ग्राम पोसालिया में आया हुआ है जिसका पट्टा संख्या 89 दिनांक 10.7.2014 को ग्राम पंचायत, पोसालिया द्वारा कुल नाप 920 वर्गफीट का जारी किया गया है। जिस पर प्रार्थी ने नियमानुसार निर्माण स्वीकृति प्राप्त कर निर्माण कार्य किया है। प्रार्थी द्वारा आम रास्ते की भूमि पर किसी तरह का कोई अवैध निर्माण नही किया है, बल्कि प्रार्थी ने अडौस-पडौस में स्थित मकानों की सीमा तक बिल्डिंग लाईन में ही निर्माण कार्य करवाया है।" जबकि अप्रार्थी पक्ष का मुख्यत: कथन यह है कि "प्रार्थी को ग्राम पंचायत, पोसालिया द्वारा क्षेत्रफल 46x20=920 वर्गफीट भूमि का पट्टा संख्या 89 दिनांक 10.7.2014 को जारी किया हुआ है एवं ग्राम पंचायत पोसालिया द्वारा प्रार्थी को पट्टेशुदा कुल भूमि 920 वर्गफीट पर ही निर्माण की स्वीकृति जारी की गई थी, लेकिन प्रार्थी ने पट्टे में दर्ज नाप 920 वर्गफीट से अधिक 9x20=180 वर्गफीट सार्वजनिक रास्ते की भूमि पर अवैध रुप से निर्माण किया है, जिसको हटाने के संबंध में ग्राम पंचायत, पोसालिया द्वारा विधिवत कार्यवाही कर नोटिस जारी किया गया है।"

.....पेज चार पर

इस प्रकार, उभय पक्ष के कथनों से यह स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत, पोसालिया द्वारा प्रार्थी के विरुद्ध आम रास्ते की भूमि पर अतिक्रमण के संबंध में नोटिस जारी करने से पूर्व इस तथ्य की जांच नही की गई है कि मौके पर आम रास्ता कितना चौडा है? जबकि ग्राम पंचायत, पोसालिया द्वारा प्रार्थी को अतिक्रमण हटाने बाबत नोटिस जारी करने से पहले उक्त रास्ते की चौडाई कितनी है? के संबंध में नाप जोख करना चाहिये था।

प्रकरण में यह तथ्य भी स्पष्ट नही है कि यदि प्रार्थी ओमप्रकाश द्वारा उक्त पट्टेशुदा भूमि से अधिक भूमि पर निर्माण कार्य करवाया है, तो वह निर्माण कार्य अडौस-पडौस के मकानों की बिल्डिंग लाईन की सीमा में है अथवा अडौस-पडौस के मकानों की बिल्डिंग लाईन की सीमा से आगे रास्ते की भूमि पर है? ऐसी स्थिति में, उपर्युक्त तथ्यों के विवेचन के अनुसार प्रार्थी का निगरानी प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रश्नगत नोटिस को निरस्त करते हुये प्रकरण ग्राम पंचायत, पोसालिया को मौके की सही रुप से जांच कर प्रार्थी को सुनवाई का अवसर देते हुए पुन: विधि सम्मत कार्यवाही करने हेतु प्रतिप्रेषित किया जाना उचित पाया जाता है।

अत: प्रार्थी का निगरानी प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम पंचायत, पोसालिया द्वारा प्रार्थी ओमप्रकाश पुत्र तेजाराम जी मीणा, निवासी- पोसालिया के विरुद्ध जारी नोटिस क्रमांक: 411 दिनांक 22.3.2017 को निरस्त किया जात है एवं प्रकरण ग्राम पंचायत, पोसालिया को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि ग्राम पंचायत, पोसालिया निम्नांकित बिन्दुओं के संबंध में मौके की सही रुप से जांच करे एवं प्रार्थी को सुनवाई का अवसर देते हुए पुन: विधि सम्मत कार्यवाही करे:-

1. मौके पर रास्ते की कुल चौडाई कितनी है?
2. प्रार्थी ओमप्रकाश द्वारा मौके पर पट्टे से अधिक भूमि पर करवाया गया निर्माण कार्य अडौस-पडौस में स्थित मकानों की बिल्डिंग लाईन की सीमा है अथवा अडौस-पडौस की बिल्डिंग लाईन की सीमा से आगे रास्ते की भूमि पर है?

निर्णय सुनाया गया।

(जवाहर चौधरी)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
सिरोही